



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 126 राँची, गुरुवार,

24 मार्च, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

15 मार्च, 2022

संख्या-11/स्था० अराज०-09/2017- 1059—भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा कक्षपाल संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(i) यह नियमावली झारखण्ड कक्षपाल सम्वर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. कक्षपाल संवर्ग नियमावली-2013 के अध्याय 03 की कंडिका-7 (सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया) में निम्नांकित प्रावधान है:-

(i) लिखित परीक्षा- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा हेतु विस्तृत अनुदेश कंडिका 8 (D) के रूप में है ।

(ii) शारीरिक योग्यता परीक्षण- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक जाँच संपादित करने के लिए समिति का गठन करेगा। शारीरिक योग्यता परीक्षा का मापदंड कंडिका 8 (E) के रूप में है ।

(iii) चिकित्सा परीक्षण- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग किसी चिकित्सा संस्थान या उनके द्वारा गठित चिकित्सा दल द्वारा किया जाएगा। विस्तृत अनुदेश कंडिका 8 (K) में उल्लिखित है। भर्ती लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण के आधार पर की जाएगी ।

(iv) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक योग्यता परीक्षा की जाँच हेतु समुचित रिक्तियों की कोटिवार संख्या के तीन गुणा अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा ।

(v) शारीरिक मापदंड जाँच परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवार का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। कंडिका 8 (K) में दिये गये मानकों के अनुसार उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों के स्वस्थ होने पर ही नियुक्त किया जाएगा ।

को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

”सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण/जाँच हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग एक समिति का गठन करेगा। शारीरिक परीक्षण/जाँच में सफल अभ्यर्थियों के चयन हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा हेतु विस्तृत अनुदेश कंडिका 8 के उपकंडिका D एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा का मापदंड कंडिका 8 के उप कंडिका A, B, C एवं D के अनुरूप आयोजित की जायेगी ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संसूचित रिक्तियों के अनुरूप कोटिवार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सा परीक्षण की जाँच हेतु तैयार की जायेगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से नियुक्ति हेतु कारा महानिरीक्षक से अनुशंसा की जाएगी ।”

3. कक्षपाल संवर्ग नियमावली-2013 के अध्याय 03 की कंडिका-8 (C) में निम्नांकित प्रावधान है:-
 "शैक्षणिक योग्यता-झारखण्ड राज्य स्थित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम दमश उत्तीर्ण (सभी श्रेणी के लिए)"

को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"C.न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- "अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि एक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से अच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परन्तु अनुकम्पा, नियुक्ति एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"

4. कक्षपाल संवर्ग नियमावली-2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ए० दोड्डे,

सरकार के अपर सचिव ।
